द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित दिल्ली परिवहन निगम के निदेशक मंडल में तत्काल निदेशक नियुक्त करती है,

'डा. नरेन्द्र नाथ, सदस्य,
महानगर परिषद, दिल्ली'

और इस उद्देश्य के लिए परिवहन मंत्रालय (जल–भूतल परिवहन विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 25(अ) दिनांक 21 जनवरी, 1986 में नियमानुसार संशोधन करती है, अर्थात :

'इस अधिसूचना में प्रविष्टि (VII) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :–

"(VIII) डा. नरेन्द्र नाथ, सदस्य,
महानगर परिषद, दिल्ली" '।

[फाइल सं. टीडब्ल्यू/टीजीडी(1)/86]

डी. आर. बंसल, उप सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th February, 1987

NOTIFICATION

S.O. 125(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950) read with rule 3(c)(ii) of the Delhi Transport Corporation (Board of Directors) Rules 1984, the Central Government hereby appoints the following person as Director, with immediate effect, of the Board of Directors of Delhi Transport Corporation established under section 3 of the said Act,

'Dr. Narender Nath, Member, Metropolitan Council, Delhi'

and for that purpose amends the Ministry of Transport (Department

of Surface Transport) Notification No. S.O. 25(E) dated 21st January, 1986 as follows, namely :—

'in the said notification after entry (vii) the following entry shall be added, namely :—

"(viii) Dr. Narender Nath, Member, Metropolitan Council, Delhi" '.

[F. No. TW/TGD(4)/86]

D. R. BANSAL, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

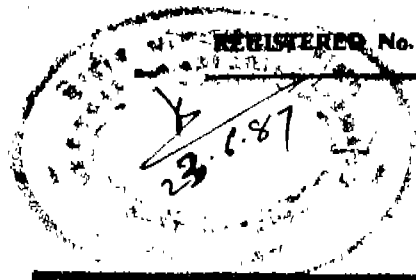

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 1987/फाल्गुन 8, 1908

No. 90] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 1987/PHALGUNA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1987

अधिसूचना

का.आ. 126(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वाघोडीया से आईपीसीएल तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन गैस ओथोरीटी ओफ इन्डिया लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस ओथोरीटी ओफ इन्डिया लि. दर्पण बिल्डिंग, आर.सी. दत्त रोड, बडोदरा को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।